न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 1/2020 जिला जयपुर ।

1. लल्लूराम पुत्र भौरी लाल जाति माली निवासी जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र गोपी (फौत)

1/1 श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नंबर 91, जगत शिरोमणी मन्दिर सागर रोड, आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

2. युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।
3. सरंपच ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर पंचायत समिति झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर दिनांक 07.06.2018 अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 25/1982

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री भगवान सहाय शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री दीनदयाल पारीक

अपील संख्या 04/2020 जिला जयपुर।

1. युगलकिशोर पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 141 जयसिंहपुरा खोर तहसील प जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र गोपी (फौत)

1/1 श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नंबर 91, जगत शिरोमणी मन्दिर सागर रोड, आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. सरंपच ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर दिनांक 07.06.2018 अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 25/1982

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री दिनेश कुमार।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री दीनदयाल पारीक।

निर्णय

दिनांक– 16.02.2021

1. यह दोनो द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 07.06.2018 के खिलाफ दिनांक 05.07.2018 एवं 06.08.2018 को प्रस्तुत हुई है। दोनो अपील एक ही नामान्तकरण संख्या 251 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः दोनो का निर्णय एक साथ किया जाता है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नामांतरकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 को ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर में प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा शीर्षक अपील राधेश्याम बनाम युगलकिशोर को निर्णय दिनांक 07.06.2018 के

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार जयपुर को रिमांड किया गया।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकार जयपुर प्रथम जयपुर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट लल्लूलाल द्वारा अपील संख्या 01/2020 एवं युगलकिशोर के द्वारा अपील संख्या 04/2020 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 को निरस्त कर नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 को बहाल रखे जाने के आदेश फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।

4. दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. सर्वप्रथम अपील संख्या 01/2020 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ईजाजत प्रस्तुत करने अपील अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वह वादग्रस्त भूमि के सदभावी केता है तथा रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है। अतः प्रकरण के प्रभावित एवं व्यथित आवश्यक पक्षकार है जिन्हें प्रथम अपील के दौरान पक्षकार संयोजित नही किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपीलार्थी को पक्षकार माना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रथम अपील में अपीलार्थी पक्षकार नही थे। उनके द्वारा द्वितीय अपील में चुनोती पेश की गई है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का क्रय भूमि संबंधि वाद लम्बित होने के दौरान किया गया है जो सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 में प्रतिपादित लिस पेडेन्स के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण प्रभाव शुन्य है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न लिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है:-

1- transfer of property Act, section 52
   1989 RRD 224
   2007(2) WLC (SC) CIVIL 256
   1993 RRD 232 (D)
2- Code of Civil Procedure, Section 96
   2020 RRD 693
   1993 RRD 44, 232 (A)
   1992 RRD 682
   2009(1) RLW 469
   1990 RRD 554, 689
   2009(1) RRT 155
   2020(2) RRT 943

7. अपील पत्रावली संख्या 1/2020 के योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने गुणावगुण बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 528, 542, 543, 544, 545, 546, 553, 554 कुल किता 8 कुल रकबा 14 बीघा भूमि का भू-प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड अकेले भौरीलाल पुत्र ओंकार के नाम दर्ज हो गया। उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 पर भंवरलाल पुत्र देवीनारायण ने उपरोक्त भूमि में हिस्सा 1/2 राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार तहसील जयपुर के समक्ष पेश कर कथन किया कि भौरीलाल पुत्र ओंकार एवं प्रार्थी भंवरलाल पुत्र देवीनारायण एक ही बाबा की औलाद है जिस पर प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज नही है, जो दर्ज किया जावे। भौरीलाल पुत्र ओंकार ने इस बाबत सहमति दी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भंवरलाल द्वारा अपना हिस्सा 1/2 की जमीन को काश्त करना तथा उक्त जमीन में एक पुख्ता मकान बना है, मौके पर कब्जे की रिपोर्ट बयान मौका लिया गया। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 17.5.1974 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 को भंवरलाल पुत्र देवीलाल के नाम हिस्सा 1/2 स्वीकृत किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 राधेश्याम पुत्र गोपी जो कि नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 में कत्तई पक्षकार नही है और ना ही खातेदार भौरीलाल पुत्र औकार से कोई संबंध व सरोकार रहा है। उक्त राधेश्याम पुत्र गोपी जो कि नामान्तकरण संख्या 251 से असंबंधित एंव अप्रभावी,

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्रथम अपील संख्या 25/1982 एस.डी.ओ. प्रथम जयपुर के समक्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की। विवादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/2 के खातेदार भौरीलाल पुत्र औकार की विरासत जरिये नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 से प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 02 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल के नाम स्वीकृत हुई। उक्त नामान्तकरण के विरुद्ध रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपील संख्या 96/2010 एसडीओ प्रथम जयपुर के समक्ष मियाद बाहर पेश की। हिस्सा 1/2 के खातेदार भंवरलाल पुत्र देवीनारायण की विरासत जरिये नामान्तकरण संख्या 383 दिनांक 03.04.1977 से प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 02 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल के नाम स्वीकृत हुई। प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 02 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल से अपीलार्थी (लल्लूलाल) ने आराजी खसरा नम्बर 528 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 542 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 544 रकबा 17 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1987 से क्रय की है। जिसका नामान्तकरण संख्या 569 दिनांक 11.02.1988 को अपीलार्थी (लल्लूलाल) के नाम स्वीकृत हुआ। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.04.1974 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने बाबत स्वीकृति प्राप्त नही की और ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य पेश की जिसमें पुष्टि होती है कि अपीलांट राधेश्याम मृतक भौरीलाल पुत्र औंकार का वारिस है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत अपील एवं अन्य अपील संख्या 96/2010 में अपीलार्थी राधेश्याम ने अलग-अलग तथा एक दूसरे से विरोधाभाषी तथ्य तहरीर किये है जिससे स्पष्ट है कि राधेश्याम ने अपील मेलाफाईड आशय से की है। उक्त दोनो अपील में राधेश्याम ने स्वयं का अलग-अलग पिता एवं निवास स्थान का पता अलग-अलग अंकित किया है। विचाराधीन नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 को तस्दीक करने का आधार दिनांक 15.05.1974 की नायब तहसीलदार की रिपोर्ट एवं दिनांक 17.05.1974 तहसीलदार का आदेश है। तहसीलदार का उक्त आदेश आज दिनांक तक UNCHALLENGED है। इसलिये तहसीलदार तहसील जयपुर के आदेश की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तकरण 251 दिनांक 09.06.1974 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में चुनोती देने का अधिकार नही था। नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 तहसीलदार के आदेश की अनुपालना में धारा 135(2) एलआरएक्ट के तहत जांच होने के पश्चात ही तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01 राधेश्याम ने कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जबकि प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 2 युगलकिशोर ने अपने आपको वारिस व उत्तराधिकारी साबित करने हेतु वार्ड पंच का प्रमाण पत्र, जांच रिपोर्ट तहसीलदार, अति. जिलाधीश का निर्णय, जागा वंशावली बयान, भौरीलाल पुत्र औंकार का पंजीकृत मुख्त्यारनामाआम जिसमें अपने भाई के पुत्र प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 02 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल को मुख्त्यारआम नियुक्त किया जो दिनांक 03.06.1975 को उपपंजीयक जयपुर शहर के समक्ष पंजीबंद्ध किया है, साक्ष्य सबूत पेश किये गये। अपीलार्थी के प्रश्नगत नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 528 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 542 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 544 रकबा 17 बिस्वा क्रय करने से अपीलाधीन भूमि में अपीलार्थी लल्लूलाल का हित निहित है। हितबद्ध व्यक्ति अपीलार्थी को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 को निरस्त किया जावे।

8. अपील पत्रावली संख्या 4/2020 के योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जपुर द्वारा सर्वसम्मति से जयपुर तहसीलदार की जांच व आदेश दिनांक 17.05.1974 की अनुपालना में भौरीलाल वल्द औकार ब्राहमण के खाते व कब्जे में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 528, 542, 543, 544, 545, 546, 553, 554 किता 8 कुल रकबा 14 बीघा वाके ग्राम जयसिहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर का नामान्तकरण भौरीलाल पुत्र औकार 1/2 हिस्सा खुद तथा 1/2 हिस्सा भंवरलाल पुत्र देवीनारायण ब्राहमण के नाम स्वीकृत कर तस्दीक किया गया। क्योंकि

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

आराजी पर भौरी लाल पुत्र औंकार अर्से दराज से कब्जा काश्त था भू–प्रबंध की गलती से आराजी अकेले भौरीलाल वल्द औंकार के नाम दर्ज हो गयी थी। जिसे भौरीलाल स्वयं ने दुरूस्त कराकर उक्त नामान्तकरण तस्दीक करवाया था। जिस नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 के जरिये विवादित आराजी में भौरीलाल पुत्र औंकार व भंवर लाल पुत्र देवीनारायण का बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा स्वीकार होकर तस्दीक हुआ उसके विरूद्ध बिना किसी आधार व हक के एक अपील दिनंक 16.01.1978 को रेस्पोडेंट स्व. राधेश्याम पुत्र गोपी ने प्रस्तुत की एवं उक्त अपील में न तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया ना ही धारा 96 सीपीसी के तहत कोई परमिशन ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय से ली गई। दिनांक 16.01.78 को राधेश्याम द्वारा अपने आपको गोपीचन्द का पुत्र बताकर प्रकरण प्रस्तुत किया गया था लेकिन उक्त प्रकरण में राधेश्याम द्वारा गोपीचन्द का पुत्र होने के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया तथा दिनांक 30.04.2018 को प्रस्तुत संशोधित अपील में अपने पिता का नाम व पता दोनो ही अलग लिखकर प्रस्तुत किये गये है। मूल अपील संख्या 25/82 में राधेश्याम ने अपील के पैरा संख्या 6 में भौरीलाल पुत्र औंकार का एकमात्र वंशज व वारिस होना बताया है इसके तीन दशक बाद राधेश्याम ने नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें गौरीशंकर मिश्र की पुत्री गंगा देवी का अपने आप को पुत्र वारिस बताया गया है तथा राधेश्याम पुत्र गोपी ब्राहमण निवासी गाम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर हाल निवासी डिग्गी हाउस जयपुर अंकित किया गया है। जबकि इसके समर्थन में ऐसी कोई वंशावली सजरा खानदान या कुर्सीनामा ग्राम पंचायत द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष व श्रीमान के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/1986 उनवानी भौरीलाल बनाम गोपीचन्द में भी राधेश्याम ने अपने आप को भंवरलाल पुत्र औकार का वंशज मानकर पक्षकार बनाने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.12.1977 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.04.1978 को खारिज फरमा दिया गया। जिसके विरूद्ध भी राधेश्याम ने अपर न्यायालयो में कोई कार्यवाही नही की गई। राधेश्याम द्वारा एक वाद पत्र देवस्थान विभाग में प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपने आप को राधेश्याम पुत्र भूरामल मंदिर जगतशिरोमणी आमेर का सेवारत पुजारी बताकर प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेट संख्या 1 राधेश्याम पुत्र भूरामल पुजारी जगत शिरोमणी मंदिर आमेर का प्रश्नगत भूमि व नामान्तकरण तथा कब्जे से संबंध नही है न ही गौरीशंकर के वंशज में आते है। दौराने अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 20.12.218 की गई है तथा एक तथाकथित वसीयत दिनांक 27.06.2018 के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वरा निगरानी में रेस्पोडेंट संख्या 3 पक्षकार बनाते हुये पत्रावली को एक माह में निर्णित करने हेतु श्रीमान न्यायालय को आदेशित किया गया है। जानकारी होने के पश्चात अपीलर्थी द्वारा उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 27.06.2018 के विरूद्ध एक सिविल न्यायालय कम–1 जयपुर महानगर जयपुर में वाद संख्या 74/19 उनवानी युगलकिशोर बनाम अन्नपूर्णा व अन्य बाबत घोषणा व निरस्त किये जाने वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है। उनका कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 1/1 उक्त आराजीयात के संबध में किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नही रखते क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 1/1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 1/1 का कब्जा रहा हो तथा गोरी शंकर के वंशज रहे हो। ना ही विवादित आराजीयात के संबध में खसरा गिरदावरी जमाबंदी व अन्य राजस्व रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का बिना अवलोकन किये ही विधि विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 07.06.2018 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने की कृपा करे।

9. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुये कथन किया गया कि विवादित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 द्वारा नामानतकरण सख्या 251 दिनांक 9.7.1974 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण अधीन आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट रेस्पोडेंट नम्बर 2 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल नही था और ना ही रहा है। क्योकि युगलकिशोर ने षडयंत्रपूर्वक आराजीयात को हडपने की नियत व उददेश्य से नामान्तकरण संख्या 251 में काटा फासी करके अपने पिता भंवर लाल को देवीनारायण का पुत्र बनाकर नामान्तकरण मिलीभगत से तस्दीक कराया है। उक्त समस्त कार्यवाही गैर कानूनी तौर पर होने के कारण अपीलाधीन निर्णय सुयोग्य उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा शीर्षकीय अपील संख्या 25/1982 उनवान राधेश्याम बनाम युगलकिशोर निर्णय दिनांक 07.06.2018 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुये निर्णय किया गया है। देवीनारायण पुत्र गौररीशंकर मिश्र अविवाहित नाऔलाद सन् 1930 में ही फौत हो चुका था। उसका विवाह ही नही हुआ था और उसके भंवर लाल पुत्र होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। आराजीयात को हडपने के उददेश्य से यह समस्त कार्यवाही की गई है। ऐसे दस्तावेजो के आधार पर अपीलार्थी ने युगनकिशोर से चुपचाप नामान्तकरण अधीन आराजीयात का विकय पत्र दिनांक 31.07.1987 को अपने हक में विवादित भूमि संबधी अपील के विचाराधीन रहते अवैधानिक रूप से कराते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित नामान्तकरण संख्या 569 दिनांक 11.02.1988 को भराकर तस्दीक करा लिया। ऐसे विकय पत्र व नामान्तकरण व दस्तावेजातो का कोई कानूनन महत्व नही है। उक्त विकय सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 से बाधित है तथा अवैध है। अपीलाधीन निर्णय के अर्न्तगत वर्णित नामान्तकरण अधीन आराजीयात में अपीलार्थी लल्लूलाल पुत्र भौरीलाल जाति माली का किसी प्रकार का हित निहित नही है और न ही आराजीयात का कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट ही है ओर न ही यह पिडित व्यक्ति की संज्ञा में आता है। दोनो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणो के अन्तर्गत अपीलार्थी लल्लूलाल पक्षकार नही था। ऐसी स्थिति में लल्लूलाल की कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने के कारण लल्लूलाल को द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का कोई किसी प्रकार का कानूनन हक व अधिकार हासिल नही है और न ही कानूनन लल्लूलाल को द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। उनका कहना था कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 द्वारा अपील स्वीकार कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिवत सुनवाई करते हुये उचित निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार जयपुर को रिमाण्ड किया था जो उचित एवं विधिसम्मत है। अतः दोनों अपीलो में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जावे ।

10. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 251 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 25/1982 एवं नामान्तकरण संख्या 463 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 96/2010 का एक ही निर्णय पारित किया गया है जबकि दोनो अपील भिन्न–भिन्न आदेश के विरूद्ध भिन्न–भिन्न समय में प्रस्तुत की गई है। दोनो अपील कन्सोलिडेट किये जाने संबंधी कोई निर्णय पारित नही किया गया है न ही किसी पक्षकार द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। यहां तक कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय में भी इस संबंध में कोई उल्लेख नही किया गया है। इस प्रकार भिन्न–भिन्न आदेशो की अपील का एक ही आदेश से निस्तारण किया जाना विधि विरूद्ध है।

11. जहां तक अपील संख्या 01/2020 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रश्न है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सदभावी केता है। इस प्रकार प्रकरण का प्रभावित व व्यथित पक्षकार है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित किया जा चुका है। प्रत्यर्थी द्वारा बहस में किये गये कथन तथा न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत इजाजत प्रस्तुत करने अपील अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। जहां तक प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत ली गई आपति का प्रश्न है। उक्त धारा के प्रावधान उक्त स्थिति में लागू होते है जब विवादित सम्पति

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

के स्वामित्व संबंधी विवाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहते हुये सम्पति का हस्तान्तरण किया गया हो। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व हस्तान्तरण संबधी विवाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। यह विधि का सुस्थापित तथ्य है कि नामान्तकरण द्वारा भूमि के स्वामित्व का निर्धारण नही होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में नामान्तकरण की अपील का विचाराधीन होना लिस पेडेंन्स के सिद्धांत को आकर्षित नही करता है। अतः मेरे विनम्र मत में धारा 52 का आघात प्रस्तुत प्रकरण में नही होता है तथा विद्वान अधिववक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

12. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर द्वारा तस्दीक किये जाने के संबंध में है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 251 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में यह आधार लिया गया कि उक्त नामान्तकरण मृत व्यक्ति देवनारायण के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09.06.1974 को तस्दीक किया गया है, उक्त नामान्तकरण हेतु प्रारूपिक रेस्पोडेंट युगलकिशोर द्वारा नायब तहसीलदार से सांठ–गांठ कर आज्ञा प्राप्त की गई है। आज्ञा दिनांक 17.05.1974 तहसीलदार जयपुर तथा दिनांक 09.06.1974 ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर पारित करने से पूर्व कोई नोटिस किसी प्रकार का नहीं जारी किया गया है जो कि कानूनी रूप से अनिवार्य था। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अंकित किया गया है कि अपीलांट भौरीलाल पुत्र श्री ओंकार का एकमात्र वंशज व वारिस है। भंवरलाल देवीनारायण का वारिस नहीं हैं न ही देवीनारायण का संबंध भंवरलाल उर्फ भौरीलाल से था तथा समस्त कार्यवाही फर्जी एवं बेबुनियाद है। युगलकिशोर स्व0 भंवरलाल उर्फ भौरीलाल का पुत्र है इसलिए रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। उक्त कथन करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है।

13. उपर्युक्त अपील संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीननस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट युगलकिशोर द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति अपीलांट के अपील पेश करने संबंधी अधिकार नहीं होने तथा अपील मियाद बाहर होने बाबत् प्रस्तुत की गई थी। उक्त आपत्तियों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.1994 को निर्णय पारित (आदेशिका पृष्ठ संख्या 20, 21) किया गया। उक्त निर्णय में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया गया एवं अपील पेश करने संबंधी अधिकार आदि अन्य आपत्तियों का निस्तारण अपील की पूर्ण सुनवाई के पश्चात् किये जाने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति पर उभयपक्ष की बहस के तथ्यों का अंकन किया गया है परन्तु आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी पक्षकार की प्रार्थना के एवं आदेश के अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 251 एवं अन्य नामान्तकरण संख्या 463 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का एक साथ निर्णय पारित किया गया है। उक्त दोनों अपील पत्रावलियों को कन्सोलिडेट कर एक ही निर्णय पारित किये जाने का कोई स्पीकिंग आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्लीडिंग से बाहर जाकर कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में एक बार यह उल्लेख किया गया है कि वह भौरीलाल पुत्र ओंकार का एक मात्र वंशज व वारिस है। अपीलार्थी द्वारा इस कथन को साबित करने का कोई प्रयास न तो अपील मीमो में किया गया है तथा न ही कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से नामान्तकरण संख्या 463 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 96/2010 में अपीलार्थी राधेश्याम द्वारा अंकित कथनों को हूबहू बिना किसी साक्ष्य सबूत के तथा कयास के आधार पर सत्य मानते हुये उनके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया गया है कि "प्रथम दृष्टया पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि वंशावली अनुसार गौरीशंकर मिश्र के दो जायन्दा लडके देवी

16/02/2021

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

नारायण व औंकार हुये तथा एक पुत्री गंगादेवी हुई। देवीनारायण पुत्र गौरीशंकर अविवाहित व ना औलाद सन् 1930 में फौत हुआ। औंकार पुत्र गौरीशंकर के एक पुत्र भौरीलाल हुआ जो कि ना–औलाद फौत दिनांक 16.03.1977 को हुआ एवं गंगा देवी पुत्री गौरीशंकर के एक पुत्र राधेश्याम हुआ जिसमें गंगा देवी की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण औंकार व देवी नारायण द्वारा छोडी गई चल व अचल संपत्ति का एक मात्र मालिक व स्वामी इनकी बहन गंगा देवी हुई। गंगा देवी की मृत्यु पश्चात अपीलार्थी ही देवी नारायण व औकार पुत्रान गौरीशंकर व गंगा देवी पुत्री गौरीशंकर द्वारा छोडी गई चल अचल संपति का एक मात्र मालिक व स्वामी अपीलार्थी ही है। इससे भी स्पष्ट है कि युगल किशोर व इसके पिता भंवरलाल, देवीनारायण व औंकार पुत्रान गौरींशकर मिश्र एवं गंगा देवी पुत्री गौरीशंकर के वंशज का नही है। इस कारण नामान्तकरण अधीन आराजीयात से रेस्पोडेंट 1 व इसके पिता भंवरलाल का कोई संबंध व तालूक स्पष्टतया साबित नही हो रहा है।" अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष अपने विवेकाधिकार का अनुचित उपयोग करते हुए पारित किया जाना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा न तो इस तरह को कोई कथन अपील मीमों में किया गया है तथा न ही इस आशय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त निष्कर्ष विधिक दृष्टि से शून्य प्रभावी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य अपील संख्या 96/2010 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन् 2010 में प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थी राधेश्याम द्वारा गौरीशंकर के सजरा खानदान का उल्लेख कर स्वयं को गंगादेवी का पुत्र कथन किया गया है। उक्त अपील जिसमें नामान्तकरण संख्या 463 को चुनौति दी गई है वह लगभग 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। इससे स्पष्ट है कि पश्चातवर्ती अपील में अपीलार्थी द्वारा जानबुझकर After thought कथन अंकित किये गये है तथा इन कथनो को साबित करने का कोई प्रयास नही किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पश्चावर्ती अपील संख्या 96/2010 के मीमो में वर्णित कथनो को स्वतः सिद्ध मानते हुये अवैधानिक रूप से पूर्ववर्ती अपील संख्या 25/82 में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। दूसरी और वर्तमान अपीलार्थी लल्लूलाल एवं युगलकिशोर द्वारा दस्जावेजात प्रस्तुत किये गये है जिसमें राधेश्याम पुत्र भूरामल स्पष्ट अंकित है। उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि स्वयं राधेश्याम अपने आपको भूरामल का पुत्र कहता आया है उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का कोई locus standii साबित नही होता है। उक्त राधेयाम वर्तमान प्रत्यर्थी को नामान्तकरण संख्या 251 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में नामान्तकरण संख्या 251 के संबध में अन्य निष्कर्ष पारित किया गया है कि "न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उक्त अपीले, नामान्तकरण संख्या 251 व 463 के कम में पत्रावलीयो में उपलब्ध दस्तावेजात, नामान्तकरण, रेस्पोडेंटस की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति तथा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथा की गई बहस पर मनन पश्चात इस निर्णय पर पहुचे है कि भंवरलाल का नामान्तकरण जिन आधारो पर खोला गया। वह विधि सम्मत् नही था। दिनांक 07.12.1970 को तहसीलदार जयपुर को गिरदावर द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें ग्रामीणो के बयानो के युगलकिशोर को भंवरलाल का वारिस माना है। इसलिये भी इस जांच तहसीलदार के स्तर से कराया जाना उचित होगा।" अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निष्कर्ष में तहसीलदार से सन 1974 में दर्ज नामान्तकरण के संबधं में वारिसो की जांच करवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है जो तहसीलदार की क्षैत्राधिकारिता में नहीं है तथा उत्तराधिकार का प्रश्न सक्षम न्यायालय से ही निर्णित किया जा सकता है। नामान्तकरण एक Fiscal entry है तथा नामान्तकरण द्वारा स्वामित्व का निर्धारण नही किया जा सकता है। इस प्रकार पक्षकारो के मध्य यदि स्वामित्व का विवाद है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है।

14. उपर्युक्त विवेचन से अपीलार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी) राधेश्याम द्वारा स्वंय को प्रश्नाधीन नामान्तकरण संख्या 251 से प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार साबित नही किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध जाकर आभासी आधारो पर न्यायिक विवेक का

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

उपयोग किये बगैर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा उक्त दोनो अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

15. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रश्नगत नामान्तकरण सख्या 251 दिनांक 09.06.1974 वाके ग्राम पचायत जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर यथावत रखा जाता है।

16. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner